तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज लीला बनाम आसुराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
06.05.2024	(order text below)	

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा अरणाय में आराजी साबिक खसरा संख्या 559 रकबा 35 बीघा 06 बिस्वा, जिसके नवीन खसरा संख्या 1617 रकबा 5.71 हैक्टेयर आये हुए है, जिसका मूल खातेदारी प्रार्थीया के दादा कला वल्द वाला थे जिनकी मृत्यु उपरान्त उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया के पिता स्व रामलाल व उनके भाई भाणा के नाम बराबर हिस्सा प्राप्त हुई। अप्रार्थी आसुराम प्रार्थीया के चाचा भाणाराम का जायंदा पुत्र है जिसे प्रार्थीया के पिता रायमल व प्रार्थीया की माता ने अपने जीवनकाल में कभी गोद नहीं लिया था न प्रार्थीया के पिता ने आसुराम के पक्ष में कभी कोई पंजियनशुदा या गैर पंजियनसुदा गोदनामा निष्पादित किया, बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया के पिता स्व. रायमल की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत अरणाय के तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन तहसीलदार सांचौर व राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर प्रार्थीया के पिता की वादग्रस्त आराजी में फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 22.05.1993 को फर्जी रूप से स्वयं को स्व. रामलाल का गोदपुत्र बताकर अपने नाम इन्द्राज करवा लिया। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 ने स्व रामलाल का फर्जी गोदपुत्र बनकर अपने नाम करवा ली, फर्जीवाड़े से प्रार्थीया की पुश्तैनी हकहकुक की वादग्रस्त आराजी अवैध अपने नाम करवाने के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी में से 0.64 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्ट्री बेचान अप्रार्थी संख्या 04 के नाम कर राजस्व रेकर्ड में इनका भी नाम इन्द्राज करवा दिया, प्रार्थीया स्व रामलाल की एक मात्र जायंदा पुत्री व प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी हकहकुक की काश्तसुदा कब्जाशुदा होने के बावजूद अप्रार्थीगण दखलंदाजी करते है तथा अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति तीनों मूलभुत कानुनी स्तम्भ प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपने जवाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया लीला का संबंध रायमल से या रायमल के परिवार से कतई न तो था एवं न ही है रायमल के आसु गोद लिये हुए तकरीबन 22–23 वर्ष होने आए है, विगत 22–23 वर्षों से रायमल के स्थान पर आसु का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। आसु रिकोर्डेड खातेदार है, लीला अपने पति से शादी के बाद ग्राम सांगड़ा, थराद (गुजरात) ही कई वर्षों से अपने पति के साथ रहती है, ग्राम अरणाय में लीला का कोई रहवास नहीं है उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नहीं है, प्रार्थीया स्व रामलाल की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी नहीं है। प्रार्थीया ग्राम सांगड़ा, तहसील–थराद में विगत 42–43 वर्ष से रह रही है वहां अपने पति के साथ काश्त करती है। प्रार्थीया लीला रायमल की पुत्री है या नहीं, इस हेतु वह सक्षम न्यायालय से सक्सेशन प्रमाण–पत्र प्राप्त करें, प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है इस प्रकार प्रार्थीया के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण या सुविधा का संतुलन नहीं है जब प्रार्थीया का उक्त आराजी से कोई लेना–देना ही नहीं है तो उसे अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा अरणाय के पुराने खेत खसरा संख्या 559 रकबा 35 बीघा 06 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 1617 रकबा 5.71 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थीगण किसी तरह से बैचान, हस्तान्तरण, रहन, तर्क आदि नहीं करें, यथास्थिति कायम रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2024.06.07 17:38:19
Reason: SelfAttested